

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2025-34 पटना, दिनांक-07/4/25

‘कार्यालय आदेश’

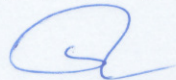
जिलाधिकारी, पटना के अनुरोध के आलोक में पटना जिला के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित सिविल एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवंटन हेतु पटना केन्द्रीय पूल से गर्दनीबाग आवासीय परिसर के निम्नांकित आवासों को अस्थायी रूप से पटना जिला पूल में हस्तांतरित किया जाता है :-

क्र0	आवास टाईप	ब्लॉक संख्या	आवास संख्या	कुल आवास	आवंटन हेतु पात्र पदाधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	सी-टाईप आवास	C7	203, 302, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504	12	पे-लेवल 9 के पदाधिकारियों हेतु
		C8	101, 102		
2.	डी-टाईप आवास	D5	404	07	पे-लेवल 11 एवं इससे उपर के पदाधिकारियों हेतु
		D6	304, 401, 402, 403, 404		
		D7	203,		
3.	ई-टाईप आवास	E1	301	03	भा0प्र0से0 एवं भा0पु0से0 के पदाधिकारियों हेतु
		E2	301, 304		
4.	ई-टाईप आवास	E2	103	01	प्रधान न्यायाधिश परिवार न्यायालय, पटना को आवंटन हेतु
5.	छज्जूबाग, पटना	आवास संख्या-03		01	पे-लेवल 11 एवं इससे उपर के पदाधिकारियों हेतु
कुल				24	—

- उपर्युक्त हस्तांतरित आवासों में से आवास संख्या-C7/203, C7/302, C8/101, C8/102, D7/203, D5/404 एवं E1/301 एवं पूर्व से जिला पूल से आवास आवंटन हेतु पात्र पदाधिकारियों को आवंटित है। उक्त आवासों में आवासित पदाधिकारियों की विवरणी Annexure-A के रूप में संलग्न है।
- जिला पूल में उपर्युक्त आवासों का हस्तांतरण, जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-510, दिनांक-27.03.2025 के आलोक में किया जा रहा है।
- उपर्युक्त हस्तांतरित आवासों को स्तंभ-6 में अंकित पात्र पदाधिकारियों को ही आवंटित किया जा सकता है।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज की कटौति भी किया जायेगा, जो निम्नवत है :-

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	सी-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹660	₹880	₹1540
2.	डी-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹936	₹1248	₹2184
3.	ई-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹1290	₹1720	₹3010

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग/कार्यालय द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।



6. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
7. पटना से बाहर स्थानान्तरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
8. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवास में पदाधिकारी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
9. पटना जिला पूल में निर्माणाधीन आवासों के निर्माण उपरांत उपर्युक्त हस्तांतरित आवास स्वतः ही पटना केन्द्रीय पूल में वापस आ जायेगा।
10. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली 1986 एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुरूप निस्तारित किया जायेगा।
11. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2025- 3331/पटना, दिनांक:- 07/4/25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/4/25

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

Annexure-A

पटना जिला पूल में हस्तांतरित गर्दनीबाग आवासीय परिसर के कुल-24 आवासों में से 7 आवासों में जिला पूल से आवास आवंटन हेतु पात्र पदाधिकारी पूर्व से आवासित है। उक्त आवासों की विवरणी निम्नवत है :-

क्र०	आवास संख्या	आवंटी पदाधिकारी का नाम/पदनाम	कार्यालय आदेश सं०/दिनांक
1.	C7/203	सुश्री संगीता, पुलिस उपाधीक्षक, साईबर क्राईम, पटना	32 / 04.04.2025
2.	C7/302	श्री नीतीश चन्द्र धारिया, पुलिस उपाधीक्षक, साईबर क्राईम, पटना	32 / 04.04.2025
3.	C8/101	डॉ० अनु कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सचिवालय-01	119 / 28.11.2024
4.	C8/102	श्री आलोक कुमार, नगर दण्डाधिकारी, समाहरणालय, पटना	11 / 29.01.2025
5.	D5/404	श्री अजीत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात (तृतीय)	109 / 21.10.2024
6.	D7/203	श्री रंजन कुमार चौधरी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	109 / 21.10.2024
7.	E1/301	श्री सरथ आर० एस०, भा०पु०से० (2020), नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी)	98 / 26.09.2024


न/५/२५